

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

154/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2024/452

वादी

बनाम

प्रतिवादी

साबिर खां पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी मोयलो का वास, कल्याणपुर
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. अकबर आजम पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी जोधपुर-कल्याणपुर हाईवे रोड
कल्याणपुर
2. गुले खां पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी जोधपुर-कल्याणपुर हाईवे रोड
कल्याणपुर
3. फिरोज खां भीखे खां मोयला निवासी
मोयलो का वास कल्याणपुर
4. बरगत पुत्री भीखे खां पत्नि जिसम खां
मोयला निवासी मोयलो का वास, राखी
5. हमीदा पुत्री भीखे खां पत्नि हकीम खां
मोयला निवासी रूड़कली तहसील लूणी
6. दशरथसिंह पुत्र चुनीलाल राजपुरोहित
निवासी डोली राजगुरु तहसील
राजपुरोहित
7. पुष्पाकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी अराबा दुदावता तहसील
कल्याणपुर
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर
9. गोरधनसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
दूदावता तहसील कल्याणपुर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता वादी
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01,6,7 व 9
3. प्रतिवादी संख्या 02 व 3 से 5 व 8 एकतरफा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 12/02/2026

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 998/296 क्षेत्रफल 3.4803 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 29.7.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 998/296 क्षेत्रफल 3.4803 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	साबीरखां पुत्र भीखेखां हि. पूर्ण जाति मोयला सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	998/296	1.0441	बा.अ.	1.61	नक्शे में दर्शितानुसार
2	अकबर आजम पुत्र भीखेखां हि. पूर्ण जाति मोयला सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	998/296 998/296	0.6203 0.0758	बा.अ. बा.अ.	0.95 0.13	नक्शे में दर्शितानुसार
3	गुलेखां पुत्र भीखेखां हि. पूर्ण जाति मोयला सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	998/296 998/296	0.1034 0.0126	बा.अ. बा.अ.	0.16 0.02	नक्शे में दर्शितानुसार
	गोरधनसिंह पुत्र भंवरसिंह हि. पूर्ण जाति पुरोहित सा. अराबा दुदावत खातेदार	कल्याणपुर	998/296 998/296	0.4136 0.0505	बा.अ. बा.अ.	0.63 0.08	नक्शे में दर्शितानुसार



(Handwritten signature)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5	दशरथसिंह राजपुरोहित पुत्र चुन्नीलाल हि. पूर्ण जाति राजपुरोहित सा. डोली राजगुरां खातेदार	कल्याणपुर	998 / 296 998 / 296	0.5168 0.0632	बा.अ. बा.अ.	0.79 0.10	नक्शे में दर्शितानुसार
6	पुष्पा कंवर पत्नि भंवरसिंह हि. पूर्ण जाति राजपुरोहित सा. अराबा दुदावतां खातेदार	कल्याणपुर	998 / 296 998 / 296	0.5168 0.0632	बा.अ. बा.अ.	0.79 0.10	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12/2/2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 154/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/452

वादी

बनाम

प्रतिवादी

साबिर खां पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी मोयलो का वास, कल्याणपुर
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. अकबर आजम पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी जोधपुर-कल्याणपुर हाईवे रोड़
कल्याणपुर
2. गुले खां पुत्र भीखे खां मोयला
निवासी जोधपुर-कल्याणपुर हाईवे रोड़
कल्याणपुर
3. फिरोज खां भीखे खां मोयला निवासी
मोयलो का वास कल्याणपुर
4. बरगत पुत्री भीखे खां पत्नि जिसम खां
मोयला निवासी मोयलो का वास, राखी
5. हमीदा पुत्री भीखे खां पत्नि हकीम खां
मोयला निवासी रुड़कली तहसील लूणी
6. दशरथसिंह पुत्र चुनीलाल राजपुरोहित
निवासी डोली राजगुरु तहसील
राजपुरोहित
7. पुष्पाकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी अराबा दुदावता तहसील
कल्याणपुर
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर
9. गोरधनसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
दूदावता तहसील कल्याणपुर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर :154/2024

निर्णय दिनांक :- 12.2.2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1,6,7 व 9 की ओर से श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से 5 व 8 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 12.2.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12.2.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 12.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	_____	जोड़	_____




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा